FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	ब ना म	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी (तहसीलदार) कुचामनसिटी		श्रीमति दुर्गादेवी पत्नी कल्याणसिंह राजपूत निवासी मंगलपुरा तहसील कुचामनसिटी

राजस्व प्रार्थना पत्र – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955

राजस्व प्रार्थना पत्र 181/**2021** **GCMS No.** 2021/220

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
22.06.2021	यह राजस्व प्रार्थना–पत्र राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला (नागौर) की ओर से अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार कुचामनसिटी के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस दौरान बताया कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम जिलिया पटवार मण्डल जिलिया तहसील कुचामनसिटी में स्थित खसरा नम्बर 62 कुल रकबा 13.61 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय में से 0.02 हैक्टर कृषि भूमि को अकृषि (वाणिज्यिक) के रूप में बिना विहित प्राधिकारी की काम में लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है, अप्रार्थी को उक्त कृषि भूमि को विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अकृषि उपयोग करने का अधिकार नही है, अतः अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ता–फैसला वाद पांबद फरमाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनॉक 29.07.2021 तक इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम जिलिया पटवार मण्डल जिलिया तहसील कुचामनसिटी में स्थित खसरा नम्बर 62 कुल रकबा 13.61 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय की राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा मूल प्रकरण की सुनवाई तक अप्रार्थी विवादित आराजी को नुकसान नही पहुचाये एवं अन्यत्र बेचान, हस्तानान्तरण भारग्रस्त इत्यादि नही करे, एवं उक्त भूमि में किसी प्रकार कच्चा पक्का निर्माण नही करे, दौराने वाद विवादित आराजी को गैर कृषि कार्यो के लिये उपयोग में नही लेवे। पत्रावली दिनॉक 29.07.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
29.7.2021	पत्रावली पेश हुई आज ... उपखण्ड ... अधिकारी ... है। अतः पत्रावली दिनांक ....2021 को पेश हो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:57:30 IST
Reason: SelfAttested

27/8/2021 पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य ... अवकाश मे बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 23/11/2021 को पेश हो

14/10/2021	पत्रावली "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021" के दौरान ग्राम पंचायत मिठड़ी में प्रस्तुत हुई। पक्षकारान को समझाईस की गई। परन्तु राजीनामा नहीं हुआ। अतः पत्रावली नियमित सुनवाई हेतु दिनांक 11/01/2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)
11.01.2022	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश मे बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 25/02/2022 को पेश हो।
25/02/2022	पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 22/4/2022 को पेश हो।
22/4/2022	पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 30/06/22 को पेश हो।
30/6/2022	पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 19/8/2022 को पेश हो।
19/08/2022	पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 05/12/2022 को पेश हो।
05/12/2022	पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 13/2/2023 को पेश हो।
13/2/23	पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 4/05/2023 को पेश हो।
4.5.23	पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 28.7.23 को पेश हो।
28/7/23	वाद पेरोकार उपस्थित। अप्रार्थी को तलबी हेतु नोटिस प्रस्तुत करें पत्रावली दिनांक 6/11/23 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:57:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम दुर्गादेवी पत्नि कल्याणसिंह राजपूत मंगलपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर		
प्रार्थना–पत्र नम्बर 42/2021	**GCMS No.2021/219**	
तारीख हुक्म	181/2024 हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज 2024/220	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
08.08.2023	पत्रावली अप्रार्थी दुर्गादेवी एव उनके अधिवक्ता श्री रणवीर कुमावत द्वारा प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रस्तुत करने पर आज नम्बर पर ली गई। प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप मे इस प्रकार से है कि तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा राजस्व वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत अप्रार्थी दुर्गादेवी पत्नि कल्याणसिंह राजपूत निवासी मंगलपुरा तहसील कुचामनसिटी के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत किया, ग्राम जिलिया पटवार मण्डल जिलिया तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 62 रकबा 13.61 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय में से 0.02 हैक्टर को अप्रार्थी ने बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि उपयोग कर लिया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है, इसलिए अप्रार्थी के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उसे पाबंद फरमाया जावे। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनॉक 22.06.2021 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होकर शामिल मिसल उपलब्ध है, अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है अप्रार्थी ने उपरोक्त भूमि में कुछ हिस्सा कृषि कार्य हेतु कृषि भण्डारण के लिया किय गया है, माननीय न्यायालय का स्थगन होने से अप्रार्थी को कृषि कार्य हेतु ऋण लेने एवं कृषि कार्य के लिए विकसित किये जाने की आवश्यकता है, जिसके लिये माननीय न्यायालय का स्थगन होने के कारण अप्रार्थी को असुविधा हो रही है, अप्रार्थी ने अण्डरटेकिग दी है कि व उक्त कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने से पहले संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से विविधत संपरिवर्तन करवाकर ही गैर कृषि उपयोग में लेगी जिसके लिए शपथ–पत्र भी दिया गया है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें जिससे अप्रार्थी खातेदार भूमि का विकास कर सके एवं ऋण प्राप्त कर सके। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया है तथा अप्रार्थी ने कहा कि वादग्रस्त भूमि ग्राम जिलिया पटवार मण्डल जिलिया तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 62 रकबा 13.61 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय में से 0.02 हैक्टर भूमि में केवल कृषि कार्य हेतु कृषि भण्डारण के लिए कुछ	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:57:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

हिस्सा उपयोग में लिया गया है, अप्रार्थी अपनी भूमि का विकास करना चाहता है जिसके लिए बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहती है, माननीय न्यायालय का स्थगन होने के कारण अप्रार्थी को उक्त कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें। अतः अप्रार्थी के जवाब में उल्लेखित तथ्यों एव प्रस्तुत शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा 22.06.2021 एवं प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मनोज,**RAS**)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:57:30 IST
Reason: SelfAttested